UPMO060012802022

न्ययालय अपर सिविल जज (जू.डि.) न्यू कोर्ट सं0–02, मुरादाबाद।

मूलवाद सं0–775/2022

हिमायतुल्ला बनाम नूर हसन आदि।

निस्तारण प्रार्थनापत्र प्रपत्र सं0–18क अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) सिविल प्रकिया संहिता 1908

11.01.2023

वादी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रपत्र सं0–18क मय शपथपत्र 19ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थी ने प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध, प्रतिवादी सं0–1 व 2 के पक्ष में निष्पादित बयनामा दिनांकित 12.05.2022 जिसकी रजिस्ट्री उपनिबंधक सदर प्रथम मुरादाबाद के कार्यालय में वहीं सं0–1 जिल्द संख्या 17897 के पृष्ठ संख्या 229 से 242 तक क्रमांक 9803 पर दिनांक 12.05.2022 को हुई है, को शून्य घोषित कराने तथा निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के लिए योजित किया गया है। वाद काल में कुछ संभ्रांत व्यक्तियों ने बीच में पड़कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समझौता करा दिया है और वादी ने तथ्यों को भली–भांति समझ लिया है तथा प्रतिवादी सं0–1 व 2 के पक्ष में बयनामा दिनांकित 12.05.2022 सही रूप से किया गया है और बयनामा वैध दस्तावेज है। ऐसी दशा में वादी को वाद चालने की आवश्यकता नहीं है। अतः वादी का वाद उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वापस करते हुए खण्डित किये जाने की याचना की है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थनापत्र 18क मय शपथपत्र सशर्त वादी की ओर से उपरोक्त मूलवाद वापसी हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उभयपक्ष के मध्य विषयवस्तु के संबंध में संभ्रान्त व्यक्तियों द्वारा समझौता करा दिया गया है, परिणामस्वरूप वादी उपरोक्त वाद आगे चलाना नहीं चाहता। अतः वाद समाप्त किया जाना न्यायोचित होगा।

न्यायालय द्वारा वादी से उपरोक्त वाद के विषयवस्तु के संबंध वाद योजित किये जाने के संबंध में प्रश्न किये जाने पर वादी द्वारा इस आशय का कथन किया गया कि वह भविष्य में उपरोक्त वाद की विषयवस्तु के संबंध में पुनः वाद योजित करने हेतु अनुमति नहीं चाहता।

यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी अपने वाद का dominis litis होता है। अतः वह वाद संचालित करने हेतु स्वतंत्र होता है। आदेश 23 नियम 1 (3) सी.पी.सी. उपरोक्त के संदर्भ में वादी को यह सुविधा प्राप्त करता है कि वादी अपने वाद को वापस लेने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थनापत्र 18क में वर्णित कथनों के आलोक में उपरोक्त वाद वापस किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। अतः प्रार्थनापत्र 18ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 18क अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 (3) सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादी भविष्य में उपरोक्त वाद की विषयवस्तु के संबंध में वाद योजित करने से बाधित रहेगा। तद्नुसार उपरोक्त वाद वापस होने के कारण निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वासु चौधरी)
अपर सिविल जज (जू.डि)
न्यू कोर्ट सं0–02, मुरादाबाद।
जे. ओ. कोड. नं0–यू.पी.3661

Digitally signed by VASU CHAUDHARY
Date: 2023.01.11 14:28:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court